



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 520 राँची, बुधवार,

21 अक्टूबर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

7 सितम्बर, 2020

संख्या-15/नीति नि०-07-17/2014 का- 4425-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-262 दिनांक-13.01.2015 की कंडिका-(क) में अवर सचिव (अनुमण्डल पदाधिकारी) एवं उप सचिव (अपर समाहर्ता) स्तर तथा कंडिका-(ख) में संयुक्त सचिव, अपर सचिव एवं विशेष सचिव स्तर हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में विभागीय अधिसूचना संख्या-4263 दिनांक-31.08.2020 द्वारा मनोनीत श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा०प्र०से०, सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के स्थानान्तरण के फलस्वरूप आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा०प्र०से०, सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची किया जाता है।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-4263 दिनांक-31.08.2020 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव